

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,

जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 873/11

संस्थित दिनांक -18/11/11

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर

जिला बालाघाट म0प्र0

अभियोगी

// विरुद्ध //

लियाकत अली वल्द बरकत अली

उम्र 38 वर्ष नि-करंजिया थाना करंजिया-

जिला डिण्डोरी म0प्र0

आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक 26/11/2016 को घोषित }

1. आरोपी के विरुद्ध धारा 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 13/10/11 को समय 18:00 बजे सकराही नाला बम्हनी चौराहा के पास थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन तिवारी ट्रेवल्स बस क्रमांक एम0पी018/पी0-0231 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर सोमलाल यादव की मृत्यु ऐसी दशा में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2011 को मृतक सोमलाल यादव तिवारी ट्रेवल्स बस क्रमांक एम0पी018/पी0-0231 में बैठकर जिसे चालक लियाकत अली चला रहा था गढ़ी से मोहगांव आ रहा था, उतरने को सकराही नाले के पास बस के गेट पर खड़ा हो गया था। शाम करीब छः बजे सकराही नाला बम्हनी चौराहा के पास बस के चालक ने तेज रफ्तार चलाकर एकदम लापरवाहीपूर्वक ब्रेक लगा दिया जिससे सोमलाल यादव गिर गया और उसके सिर व शरीर पर चोटें आयीं। सोमलाल यादव को बैहर अस्पताल लाकर उपचार हेतु भर्ती किया गया जो दौरान उपचार घटना दिनांक को रात्रि 09:00 बजे मृत हो गया। अस्पताल सूचना पर थाना बैहर के मार्ग क्रमांक 48/11 धारा 174 द.प्र.सं. मृतक सोमलाल यादव का कायम कर पंचनामा कार्यवाही की गयी तथा मृतक का पोस्ट मॉर्टम करवाया गया। मार्ग जांच पर अपराध पाये जाने पर आरोपी की विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रकरण की विवेचना की गयी। आरोपी से बस जप्ती कर गिरफ्तार किया गया। गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना

उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

3. न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 304(ए) भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी द्वारा आरोपित अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा तथा आरोपी का अभिवाक उसके शब्दों में अंकित किया गया। आरोपी ने धारा 313 द.प्र.सं के अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए बचाव साक्ष्य न देना प्रकट किया।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 13/10/2011 को 18:00 बजे सकराही नाला बम्हनी चौराहा के पास थाना बैहर में लोकमार्ग पर वाहन तिवारी ट्रेवल्स बस क्रमांक एम0पी018/पी0-0231 को लापरवाही पूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मृतक सोमलाल यादव की मृत्यु ऐसी दशा में कारित किया जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

### **::सकारण निष्कर्ष::**

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1.**

5. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उदयकुमार यादव (अ.सा.6) का कथन है कि घटना आज से डेढ़ वर्ष पूर्व की है, वह अपने ग्राम कुकर्ना से तिवारी बस में बैठकर बैहर आ रहा था। मृतक सोमलाल यादव गद्दी से उक्त बस में तीसरे नम्बर की सीट पर बैठा था। थूकने के लिये गेट के पास आया उस समय बस काफी तेज गति में थी, फिर बस के ड्राइवर आरोपी लियाकत अली ने अचानक ब्रेक लगाया जिसके झटके से सोमलाल यादव रोड़ पर गिर गया और बस का पिछला पहिया सोमलाल के शरीर पर से निकल गया, जिससे उसका सिर फट गया था। उसके पश्चात सोमलाल को अस्पताल लाये जहां घण्टे भर भर्ती रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

6. अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संपतलाल (अ0सा07) का कथन है कि घटना दिनांक को वह ग्राम कुकर्ना से तिवारी बस में बालाघाट जा रहा था, उसी बस में मृतक सोमलाल गद्दी चौक से बैठा था। जैसे ही बस उनकी बस मंजीटोला के आगे पहुंची वह बस में बैठकर सो रहा था। बस रुकने पर उसने देखा कि सोमलाल रोड़ पर गिरा पड़ा था जिसके सिर पर चोट थी।

7. रायसिंह (अ0सा01) का कथन है कि करीब एक माह पूर्व उसका छोटा भाई सोमलाल यादव अपने घर से मोहगांव बाजार आ रहा था। तभी

गाड़ी से कैसे गिर गया उसे नहीं मालूम। वह जब बैहर अस्पताल गया तब उसने देखा कि सोमलाल मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पंचायत नामा प्र.पी01, शव सुपुर्दगीनामा प्र.पी02 तथा मौकानक्शा प्र.पी03 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. रामदीन (अ0सा14) का कथन है कि मृतक सोमलाल उसका चचेरा भाई था। मौकानक्शा प्र.पी03 तथा शव सुपुर्दगीनामा प्र.पी02 के सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। सोमलाल का शव परीक्षण उसके समक्ष हुआ था तथा परीक्षण पश्चात शव को उसके समक्ष परिवार वालों को सुपुर्दगीनामा पर दिया था और वहीं पर उसने प्र.पी02 में हस्ताक्षर किया था।

9. बृजलाल (अ0सा05) का कथन है कि वह सोमलाल यादव को जानता था। जिसका मृत्यु बाबद पंचायतनामा प्र.पी06 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी01 उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके बी से बी एवं सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. कंचन यादव (अ0सा02) का कथन है कि मृतक सोमलाल यादव उसका पिता था। उसके पिता अपने घर से मलाजखण्ड जा रहे थे, घर पर उसे सूचना मिली थी कि पिता बैहर अस्पताल में हैं तो अस्पताल जाकर देखने पर पर उसके पिता का शव अस्पताल में रखा हुआ था। प्र.पी01 तथा 02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने चीरघर के बाजू होटल में उसके बयान लिया था।

11. गनपत (अ0सा03) का कथन है कि वह घटना के बाद दूसरे दिन बैहर आया था जब देखा कि मृतक सोमलाल के शव को उठाकर पोस्ट मॉर्टम करवाने चीरघर ले गये थे। प्र.पी03 के मौकानक्शा के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. मुकेश (अ0सा010), नरेश (अ0सा011) तथा जप्ती एवं गिरफ्तारी साक्षी राशिद खान (अ0सा08) पक्षद्रोही रहे हैं। जिन्होंने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। यद्यपि राशिद खान (अ0सा08) ने जप्ती पत्रक प्र.पी08 तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी09 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं।

13. सलीम खान (अ0सा013) का कथन है कि उसने दिनांक 16.10.2011 को थाना बैहर के अपराध क्रमांक 103 धारा 304ए भा.दं0सं0 जप्त बस क्रमांक एम.पी.18/पी-0231 का परीक्षण किया था। परीक्षण पर उसने जप्त शुदा बस का स्टेरिंग, ब्रेक, क्लच, हार्न एवं लाईट ठीक हालत में पाया था। उक्त रिपोर्ट प्र.पी17 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. डां. एन.एस.कुमरे (अ0सा09) का कथन है कि दिनांक 13.10.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पद स्थापना के दौरान उन्होंने टी.आई. बैहर को एक रिपोर्ट प्र.पी11 भेजी थी जिसमें उल्लेख था कि अस्पताल में शाम सात बजे सोमलाल यादव निवासी कुकर्मा को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया था। मरीज को लाने वालों ने बताया था कि बस से गिरने के कारण चोट आयी है। उसी दिन टी.आई. बैहर को उक्त आहत की मृत्यु की सूचना प्र.पी12 रात के 09:00 बजे दी गयी थी। दिनांक 14.10.2011 को मृतक सोमलाल यादव का शव परीक्षण करने पर उन्होंने लेसरेटेड बोन पर अस्थिभंग, दाहिने चेहरे तथा निचले ओठ पर एब्रेजन एवं दाहिने सीने पर कंट्यूजन पाया था। साक्षी के मतानुसार मृत्यु सिर की प्राण घातक चोट से उत्पन्न अत्यधिक रक्त स्राव के सदमें से हुई थी जो परीक्षण के बीस घण्टे के अंदर की थी। उनकी रिपोर्ट प्र.पी14 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

15. अशोक कुमार गर्ग (अ0सा012) का कथन है कि दिनांक 14.10.2011 को मर्ग क्रमांक 48/11 मृतक सोमलाल यादव की डायरी अग्रिम जांच हेतु प्राप्त होने पर बैहर अस्पताल पहुचकर उसके द्वारा मृतक के परिजनों को तलब कर समंस प्र.पी02 तामील किया था जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। बाद पंचनामा कार्यवाही कर नक्शा पंचायतनामा तैयार कर मृतक का पोस्ट मॉर्टम फार्म भरकर सैनिक महिपालसिंह को नौकरी पत्र देकर डां. साहब के पास अस्पताल भेजा था जो कि प्र.पी15 है। मौके पर जाकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी03 साक्षी उदयकुमार यादव के बताये अनुसार तैयार किया था। पोस्ट मॉर्टम पश्चात तिवारी ट्रवल्स बस क्रमांक एम.पी. 18/पी-0231 के चालक आरोपी लियाकत अली के विरुद्ध प्रथम सूचना प्र.पी16 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया था। दौरान विवेचना साक्षीगण उदयकुमार, कंचन यादव, रामसिंह, गनपत यादव, संपत चौधरी, नरेश यादव, मुकेश तथा राशिद खान से पूछताछ कर उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। आरोपी से मय दस्तावेजों के वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी08 तैयार किया था। बस मालिक गोविंद तिवारी से चालक लियाकत अली के संबंध में उल्लेखित आवेदन प्राप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी09 तैयार किया था। जप्तशुदा बस का मैकेनिकल परीक्षण करवाकर विवेचना पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

16. उक्त समस्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को तिवारी ट्रवल्स बस क्रमांक एम.पी.18/पी-0231 से दुर्घटना में सोमलाल यादव की मृत्यु, घटनास्थल पर आयी चोटों से कारित हुई थी जिसे अभियुक्त लियाकत



अली चला रहा था। क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उदयकुमार यादव (अ0सा006) ने आरोपी द्वारा बस चलाने के कथन किये हैं। आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और ना ही प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया है जिससे दर्शित हो कि आरोपी द्वारा वाहन का चालन नहीं किया जा रहा था। तथापि आरोपी द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर सोमलाल यादव की मृत्यु कारित करने के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था।

17. अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय बस का अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था ऐसे कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की हैं। मात्र उदयकुमार यादव (अ0सा006) ने बस के तेजगति में होने और अचानक ब्रेक लगाने के कथन किये हैं परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सोमलाल यादव कैसे गिरा यह उसने गिरते समय नहीं देखा था। घटना के बाद लोग बोल रहे थे कि सोमलाल गेट पर थूकने के लिए गया था तब गिरा है। कथन कर देने मात्र से तेजगति के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन का समर्थन किसी भी साक्षी द्वारा नहीं किया गया है। मृतक का गेट पर खड़ा होने तथा डा. एन.एस.कुमारे (अ0सा009) को शव परीक्षण में मृतक के पेट में शराब पाना दर्शाता है कि घटना संभवतः मृतक सोमलाल की गलती से कारित हुई होगी। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन को लापरवाही पूर्वक एवं उपेक्षापूर्ण रीति से वाहन चलाकर सोमलाल यादव की मृत्यु कारित की।

18. अतः अभियुक्त लियाकत अली को भा.दं0सं0 की धारा 304ए के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन तिवारी द्रवल्स बस क्रमांक एम0पी018/पी0-0231 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा

अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)